

राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 अन्तर्गत गौशालाओं के पंजीकरण हेतु गोपालन वेब एप्लीकेशन  
सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया

- गौशाला की स्थापना हेतु सर्वप्रथम संस्था/समिति/संस्थान का पंजीकरण सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार संस्थाएँ द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1958 के अंतर्गत करवाया जाना होता है। जो सहकारिता विभाग की ऑनलाईन वेब एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है।
- संस्था के पंजीयन उपरांत संस्था के विधान एवं नियमावली में उल्लेखित संस्था द्वारा गौशाला का निर्माण करेगी की पालना में गौशाला का निर्माण किया जावेगा, जिसमें गौशाला की चारदीवारी/फेसिंग, मुख्य द्वार जिस पर गौशाला के नाम का बोर्ड, चारा भण्डार गृह, पानी की टंकी एवं गौआवासों में 50 गौवंश का संधारण आवश्यक है।
- गौशाला 50 गौवंश संधारण के साथ संचालन उपरांत राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अंतर्गत निदेशालय गोपालन की ऑनलाईन वेब एप्लीकेशन <https://gopalanapp.rajasthan.gov.in/Default.aspx> पर गौशाला द्वारा अपनी एस.एस.ओ. आई.डी से ऑनलाईन आवेदन गौशाला पंजीयन किये जाने हेतु प्रावधान उपलब्ध है।
- गौशाला द्वारा ऑनलाईन आवेदन की सभी सूचनाएँ अंकित करने एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत आवेदन किया जा सकता है। आवेदन submit करने के उपरांत आवेदन ऑनलाईन माध्यम से गौशाला के ब्लॉक अधिकारी, पशुपालन विभाग के स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होता है।
- ब्लॉक अधिकारी के स्तर पर गौशाला द्वारा आवेदन में अंकित की गई सूचनाओं तथा अपलोड किये गये दस्तावेजों का अवलोकन उपरांत सही पाये जाने पर संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को आवेदन फारवर्ड कर दिया जाता है। आवेदन में त्रुटि होने पर पुनः गौशाला को भिजवाये जाने का प्रावधान है।
- संयुक्त निदेशक द्वारा प्राप्त ऑनलाईन पंजीयन आवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण किया जाता है। वेब एप्लीकेशन पर गौशाला पूर्व में उपलब्ध होने पर गौशाला को विलय (Merge) किया जाता है। यदि आवेदन सही पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु **Registrar Gaushala** को फारवर्ड किया जाता है अथवा आवेदन में त्रुटि होने पर त्रुटि से संबंधित टिप्पणी के साथ पुनः ब्लॉक ऑफिसर के माध्यम से गौशाला को रिवर्ट किया जाता है।
- रजिस्ट्रार गौशाला द्वारा प्राप्त आवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण किया जाता है। परीक्षण उपरांत यदि आवेदन में पंजीयन के सभी सूचनाएँ/दस्तावेज उपर्युक्त पाये जाते हैं तो गौशाला का ऑनलाईन माध्यम से रजिस्ट्रार गौशाला के डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 अंतर्गत पंजीयन कर दिया जाता है।

यदि आवेदन में राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ट्रुटि/अपूर्ण होने पर जिला संयुक्त निदेशक के माध्यम से गौशाला को वापस भेज दिया जाता है।

- गौशाला द्वारा ऑनलाईन माध्यम से अपनी एस.एस.ओ आई.डी पर पंजीयन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर प्राप्त करने का प्रावधान उपलब्ध है।

#### राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 में ऑनलाईन पंजीयन प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

- राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 में पंजीयन हेतु निदेशालय की ऑनलाईन वेब एप्लीकेशन पर उपलब्ध आवेदन में निम्न सूचनाएँ अंकित एवं चाहे गये दस्तावेज अपलोड किये जाने आवश्यक है।
- ऑनलाईन गौशाला पंजीयन आवेदन के प्रथम पेज में गौशाला विवरण की सूचनाएँ और आवश्यक दस्तावेज अपलोड किये जाने हैं। पेज का प्रारूप निम्नानुसार है

The screenshot shows a web-based application form for a Gau Shala (Cow Shelter) under the Rajasthan Gau Shala Act, 1960. The form is divided into several sections:

- Personal Information:** Fields for Name, Date of Birth, Address, and other personal details.
- Shelter Details:** Fields for Shelter Name, Address, Contact Number, and other shelter-specific details.
- Attachments:** A section where users can upload documents. It includes fields for 'Shelter License' (Max. Size 300 KB), 'Shelter Plan' (Max. Size 300 KB), 'Shelter Layout Plan' (Max. Size 1 MB), and 'Shelter Management Plan' (Max. Size 1 MB). There are also fields for 'Shelter Photo' (Max. Size 1 MB) and 'Shelter Video' (Max. Size 1 MB).
- Buttons:** 'Draft Save' and 'Submit' buttons at the bottom.

- प्रथम पेज पर अपलोड किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज :-
  - गौशाला संचालित संस्था का राजस्थान सहकारिता संस्था अधिनियम, 1958 का पंजीयन प्रमाण पत्र
  - 1958 में पंजीकृत संस्था का विधान तथा नियमावली की प्रतियाँ।
  - 1958 में पंजीकृत संस्था की कार्यकारिणी की प्रति
  - गौशाला के कार्यों हेतु व्यक्ति का मनोनयन पत्र की प्रति
  - यदि कार्यकारिणी में पदाधिकारी परिवर्तित हुए हैं तो कार्यकारिणी को संशोधित प्रमाण पत्र की प्रति

- ऑनलाईन गौशाला पंजीयन आवेदन के द्वितीय पेज में गौशाला की भूमि का विवरण के दस्तावेज अपलोड किये जाने का प्रावधान है।

1. भूमि संबंधी दस्तावेजों में भूमि धारक का नाम गौशाला का नाम होना आवश्यक है। शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 में ऑनलाईन पंजीयन हेतु 100 गौवंश के लिए एक हैक्टर भूमि स्वयं के स्वामित्व की/उप पंजीयक से रजिस्टर्ड दानपत्र की/उप पंजीयक से रजिस्टर्ड किरायानामा की प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. गौशाला संचालन हेतु ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत भूमि दस्तावेजों अनुसार हल्का पटवारी/भू-अभिलेख अधिकारी/तहसीलदार का प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
3. प्रस्तुत भूमि दस्तावेज में भूमि का ब्ल्यू प्रिंट की प्रति मय खसरा नम्बर अपलोड करना आवश्यक है।
4. ग्राम पंचायत का गौशाला संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है।
5. यदि ऑनलाईन आवेदन में रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ के पंजीयन के तीन माह के अंदर करने में देरी हुई हो तो उसके कारण का प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना आवश्यक है।

The screenshot shows a portion of an online application form for a Goshala (Animal Shelter) in Rajasthan, India. The interface is in Hindi. The visible part of the form includes fields for 'Land Documents' and 'Other Documents'. Under 'Land Documents', there are five checkboxes with corresponding descriptions and file upload buttons:

- Check for Yes: 1. राष्ट्र सरकारी भूमि (केंद्रीय में)
- Check for Yes: 2. राज सरकारी भूमि (राजस्थान में)
- Check for Yes: 3. योगीकृत विवरणान्वयी भूमि (केंद्रीय में)
- Check for Yes: 4. रीती भूमि (केंद्रीय में)
  - लौज सी अधिकारी (महोरों में)
  - गोव व्यापारी दिवारों
  - कुल उत्तराधि भूमि (केंद्रीय में)

Under 'Other Documents', there are four checkboxes with descriptions and file upload buttons:

- गौशाला के भूमि संबंधी दस्तावेज (Max. Size 1 MB) \*  Choose File: नहीं चुना गया
- गौशाला निरीक्षण भूमि या संचालन का भाग पर (Max. Size 1 MB) \*  Choose File: नहीं चुना गया
- गौशाला का नवीनी लक्षण (छाला र. व यथा संकेत) (Max. Size 2 MB) \*  Choose File: नहीं चुना गया
- गौशाला के छाल चिन (ट्रॉफी में) (Max. Size 1 MB) \*  Choose File: नहीं चुना गया

At the bottom right are 'Draft Save' and 'Cancel' buttons.

- ऑनलाईन गौशाला पंजीयन आवेदन के तृतीय पेज में गौशाला के बैंक खाते का विवरण के दस्तावेज अपलोड किये जाना का प्रावधान है।

1. गौशाला के बैंक खाते का विवरण :— गौशाला के नाम बैंक खाता से संबंधित बैंक खाते की पास बुक अथवा निरस्त चैक अपलोड किया जाना आवश्यक है।

[Home](#) > [गौशाला](#) > [गौशाला के बहन गौशाला का विवरण](#)

### गौशाला के बहन गौशाला का विवरण

ग्राम -	SELECT
पिंडा -	SELECT
वेक का नाम -	SELECT
दैन का शास्त्री का नाम -	SELECT
आई एफ इस नं -	INPUT
चयानिक वेक का नाम -	INPUT
दस्तावेज वेक का नाम -	INPUT
माटुकर कोड -	INPUT
खलापारी संख्या का नाम -	INPUT
साता विषय -	INPUT
निरस चेक की तस्वीर (Cancelled Cheque) (Max. Size 300 KB) -	
<input type="file"/> Choose File   No file chosen <input type="button" value="Upload"/>	
<input type="button" value="Draft Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

- ऑनलाईन गौशाला पंजीयन आवेदन के चतुर्थ पेज में गौशाला की आय के दस्तावेज अपलोड किये जाने का प्रावधान है।
  - गौशाला के गत वार्षिक आय का विवरण गौशाला की ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित की प्रति अपलोड किया जाना आवश्यक है।

[Home](#) > [गौशाला](#) > [गौशाला का विवरण](#)

### गौशाला का विवरण

गत वार्षिक आय -	INPUT
ऑडिट फर्म का नाम -	INPUT
अपलोड गत विवरण वर्क की ऑडिट रिपोर्ट (Max. Size 1 MB) -	<input type="file"/> Choose File   No file chosen <input type="button" value="Upload"/>
<input type="button" value="Draft Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

- ऑनलाईन गौशाला पंजीयन आवेदन के पंचम पेज में गौशाला में गौवंश के विवरण के दस्तावेज अपलोड किये जाने का प्रावधान है।
  - गौशाला में टैग नम्बर अनुसार गौवंश का संधारण प्रपत्र – 5 अनुरूप गौवंश संधारण पंजिका में किये जाने का प्रावधान है। जिसके अंतिम पृष्ठ को संबंधित पशु चिकित्सक अधिकारी से प्रमाणित की प्रति अपलोड करना आवश्यक है।

[Home](#) > [गौशाला](#) > [गौशाला का विवरण](#)

### गौशाला का विवरण

ग्राम नाम -	कुटे (3 वर्ष से कम) -	कुत नाम -
बड़े (3 वर्ष अद्या अधिक) -	छोटे (3 वर्ष से कम) -	कुत नाम -
मादा गौवंश -	छोटे (3 वर्ष से कम) -	कुत नाम -
बड़े (3 वर्ष अद्या अधिक) -	कुत छोटे गौवंश (3 वर्ष से कम) -	कुत नाम -
कुत नाम -	अचे गौवंश -	अविवाहित नाम गौवंश -
कुत बड़े गौवंश (3 वर्ष अद्या अधिक) -	वह से बचाये बड़े गौवंश -	वह से बचाये कुत गौवंश -
गौवंश व्यवसाय -	<input checked="" type="radio"/> हाँ - नहीं	
वह से बचाये बड़े गौवंश -	बड़े गौवंश -	
गौशाला द्वारा गौवंश की टेलिंग कामयाबी गई है ? -	<input checked="" type="radio"/> हाँ - नहीं	
टेलिंग गौवंश की तस्वीर -	<input type="file"/> Choose File   No file chosen <input type="button" value="Upload"/>	
<input type="button" value="Draft Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>		